विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 22 जुलाई , 2011 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 47वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की सैंतालिसवीं (47वीं) बैठक डा. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 22 जुलाई, 2011 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 585 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 381 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 30 जून, 2011 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,12,914.36 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 7,14,412 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, एसईजेड से 3,15,867.85 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2009-10 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 43.11 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान अर्थात 30 जून, 2011 तक कुल 72,255.50 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है।

मद संख्या 47.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) 10.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सेक्टर प्लाट नंबर 20, एपीआईआईसी औद्योगिक पार्क, मुप्पिरेड्डीपल्ली गांव, टूपरन मंडल, मेडल जिला, आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रेडियंट कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 18 मार्च, 2011 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 10.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सेक्टर प्लाट नंबर 20, एपीआईआईसी औद्योगिक पार्क, मुप्पिरेड्डीपल्ली गांव, टूपरन मंडल, मेडल जिला, आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रेडियंट कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) 1380 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम पाखाजन, लिमडी, केसवन, पादलपोर एवं ट्रंकाल, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स यूनीक इनफ्रास्ट्रक्र प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

बोर्ड ने नोट किया कि गुजरात सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19 मई, 2011 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की है। चूंकि समूची भूमि विकासक के कब्जे में नहीं है इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने 1380 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम पाखाजन, लिमडी, केसवन, पादलपोर एवं ट्रंकाल, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स यूनीक इनफ्रास्ट्रक्र प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 47.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

उल्लेखनीय है कि प्रचलित आयकर अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ पट्टा किराया / नकद भुगतान / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार जैसे मामलों में पट्टा किराया / सह विकासक करार की खास शर्तों एवं नियमों का कर संव्यवहार / कर प्रभार कर निर्धारण अधिकारी के दायरे में आता है जिसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है। सह विकासक के लिए अनुमोदन बोर्ड के सभी अनुमोदन इस मौलिक सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर हैं और इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर हमेशा लागू होगा।

31 मई 2011 को आयोजित 46वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, ऐसे मामलों में सह विकासक का स्टेटस प्रदान करने के संबंध में व्यक्त किए गए सरोकारों की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया जहां ऐसा आवेदन करने वाली संस्था उसी एसईजेड में यूनिट भी है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद समिति निम्नलिखित निर्णय पर पहुंची जिससे सुनिश्चित हो सकता है कि यूनिट तथा सह विकासक के कार्य पर्याप्त रूप से अलग हैं ताकि डबल डिपिंग से बचा जा सके जिससे राजस्व की संभावित क्षति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

(i) सामान्य नीति के अनुसार विकासक / सह विकासक तथा यूनिट अलग विधिक संस्था होनी चाहिए।

(ii) यदि कुछ विशिष्ट कारणों से उपर्युक्त व्यवस्था संभव न हो तो विकासक / सह विकासक तथा यूनिट के कार्यों को निम्नलिखित ढंग से रिंग फेंस किया जाएगा :

- अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व विकास आयुक्त द्वारा विशिष्ट कारणों की जांच की जाएगी कि क्यों विकासक / सह विकासक तथा यूनिट अलग विधिक संस्थाएं नहीं हैं।
- विकासक / सह विकासक तथा यूनिट माल एवं सेवाओं के सभी आयात तथा घरेलू प्रापण का अलग लेखा रखेंगे।
- विकासक / सह विकासक के लेखा से यूनिट के लेखा में और विलोमत: पट्टा किराया प्रभार, सेवा प्रभार तथा ऐसी प्रकृति के अन्य व्यय का कोई अंतरण अनुमत नहीं होगा।

अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया।

उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तथा शामिल करते हुए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखे गए मामलों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :

(i) चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स मार्ग डिजीटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 3.114 हेक्टेयर का विकास करने, प्रचालन करने और अनुरक्षण करने (बेयर शेल बिल्डिंग को वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तित

करने करना) के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स मार्ग डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

(ii) मैसर्स फिनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हैदराबाद इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि विकासक एवं सह विकासक के बीच पट्टा करार की अवधि 99 साल है। इसके अलावा सह विकासक द्वारा विकासक को 174 करोड़ रुपए के एकबारगी भुगतान का प्रावधान है। राजस्व विभाग ने यह भी विरोध किया कि सह विकासक बैंक के पक्ष में लियन, प्रभार या गिरवी का सृजन करने के लिए भी हकदार है। राजस्व विभाग ने विरोध किया कि यह सब भूमि की बिक्री / हस्तांतरण का द्योतक है जो एसईजेड नियमावली में अनुमत नहीं है। विकास आयुक्त ने बताया कि आवेदक ने पट्टा की अवधि घटाकर 33 साल करने के लिए लिखित रूप में अपनी इच्छा जाहिर की है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को उठाए गए मुद्दों का निराकरण करने तथा संशोधित पट्टा विलेख प्रस्तुत करने के लिए सह विकासक को सलाह देने का निदेश दिया।" तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(iii) मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स माइटेक सॉफ्टवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड (एमएसपीएल) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट स्थापित करने के लिए एमएसपीएल को 7 जनवरी 2009 को एलओए प्रदान किया गया था। इस समय एमएसपीएल ने 130000 वर्गफीट का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है जिसमें से 50000 वर्गफीट का अधिभोग एमएसपीएल द्वारा किया जाएगा तथा अतिरिक्त 80000 वर्गफीट को पट्टा पर देने का प्रस्ताव है। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि चूंकि यूनिट को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य हो गया है क्योंकि अनुरोध को स्वीकार करने वाली यूनिट पूर्वापेक्षी प्रभाव से सह विकासक का दर्जा प्रदान कर रही है जो अनुमत नहीं हो सकता है। **तद्नुसार, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।**

(iv) राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्टाइलस कामर्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग ने दो पक्षों के बीच पट्टा करार की प्रकृति पर विरोध दर्ज किया। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा सह विकासक द्वारा किए जा रहे विकास की प्रकृति तथा इस बारे में भी विकास आयुक्त, सीएसईजेड से रिपोर्ट मांगी कि क्या वे एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली से संगत हैं।

(v) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एसीएन इनफोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग ने टिप्पणी की कि मैसर्स एसीएन ने यूनिट के रूप में 30000 वर्गफीट के क्षेत्र का निर्माण किया है तथा सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन किया है ताकि वे अपनी स्वयं की एसईजेड यूनिट के लिए 10000 वर्गफीट का अधिभोग करने के बाद अन्य एसईजेड यूनिट को 20000 वर्गफीट पट्टा पर दे सकें। इस अनुरोध को स्वीकार करने का मतलब पूर्वापेक्षी प्रभाव से सह विकासक का दर्जा प्रदान करना होगा जो अनुमत नहीं हो सकता है। तद्नुसार, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

(vi) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्वेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्थ बिल्डर्स एलएलपी का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि विकासक तथा प्रस्तावित सह विकासक के बीच करार के वित्तीय ब्यौरों के बारे में अनुमोदन बोर्ड को सूचित नहीं किया गया है। **इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद विकास आयुक्त, एनएसईजेड के माध्यम से ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने तक प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया।"**

मद संख्या 47.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा स्पष्ट किया जाता है कि अधिकृत प्रचालनों के लिए सभी अनुमोदन 24 अक्टूबर, 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन हैं जिन्हें 8 दिसंबर, 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इफको किसान एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। विकास आयुक्त, वीएसईजेड से प्रस्तावित प्रस्ताव माडल के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। मामले को आस्थगित कर दिया गया।

(ii) विशाखापट्टनम जिला, तमिलनाडु में एल्युमीनियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एनार्क एल्युमीनियम लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया : -

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई मानदंडों के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	यूनिट का कुल क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(i)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	फील्ड हॉस्टल सह निवास कार्यालय	55 कमरे	26.445	1454.5	2509
		कोरिडोर, सीढ़ी तथा अन्य	-	1054.5	

(iii) मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड द्वारा बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल तथा पेट्रोलियम के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, सीएसईजेड से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जिसमें स्पष्ट किया गया हो कि क्या सह विकासक द्वारा स्थापित करने के लिए प्रस्तावित भूमिगत कच्चा तेल भंडारण सुविधा का उसके एसईजेड की गतिविधियों से कोई सीधा संबंध है।

(iv) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्वेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

तथापि, अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया क्योंकि अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित मकानों की श्रेणी के बारे में ब्यौरा प्रदान नहीं किया है। साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या विकासक के प्रस्ताव के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रस्तावित अवसंरचना के सृजन के लिए पर्याप्त औचित्य है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ उपर्युक्त मुद्दों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

(v) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

तथापि, अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया क्योंकि अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित मकानों की श्रेणी के बारे में ब्यौरा प्रदान नहीं किया है। यह भी पाया गया कि विकासक के प्रस्ताव के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रस्तावित अवसंरचना के सृजन के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ उपर्युक्त मुद्दों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

(vi) पवई, मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स हीरानंदानी बिल्डर्स का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि जिस भूमि पर हेलीपैड का निर्माण करने का प्रस्ताव है वह एसईजेड का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा, एसईजेड में हेलीपैड की उपलब्धता के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, भले ही हेलीपैड एसईजेड के बिल्कुल पास स्थित हो। इसलिए, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

(vii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक को आवास / सर्विस अपार्टमेंट सहित कुछ अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा सूचित किया गया कि विकासक ने 105467 वर्गमीटर के अतिरिक्त एफएआर के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त द्वारा सिफारिश की गई कि विकासक सबसे पहले अनुमोदित एफएआर का उपयोग करे और फिर अतिरिक्त एफएआर के लिए आवेदन करे। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त की सिफारिश को स्वीकार किया तथा विकासक के अनुरोध को अनुमोदित नहीं किया।

(viii) मैसर्स ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड जो नायडूपेट मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक है, का अधिकृत प्रचालनों के लिए का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया : -

क्र. सं.	**अधिकृत गतिविधि का नाम**	**यूनिटों की संख्या**	**यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	सामूहिक शयनकक्ष की सुविधा	8 ब्लॉक	689	8472
		8 ब्लॉक	370	
2.	ग्रोसरी ब्लाक (कर्मचारियों के दैनिक जीवन की आवश्यकताएं जैसे कि सब्जियां, फल, अनाज आदि)	1 ब्लॉक	192	192
			कुल	**8664**

मद संख्या 47.4 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) ग्राम ओगनज, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स कंबाइंड रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अपने प्रचालनों के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक करार दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूखंड 999 वर्ष की अवधि के लिए सह विकासक को पट्टा पर दिया जा रहा है। चूंकि इतनी लंबी अवधि के लिए पट्टा का अभिप्राय भूमि की बिक्री से है जो एसईजेड नियमावली के तहत अनुमत नहीं है इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड नियमावली के अनुसरण में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सह विकासक को अवसर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।"

(ii) कनायानूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि में वृद्धि के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मौजूदा एसईजेड में शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूखंड एक जलपिंड द्वारा एसईजेड से अलग हो रहा है। अनुमोदन बोर्ड को अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व प्रस्तावित विस्तृत एसईजेड में सन्निकटता स्थापित करने की विशिष्ट योजना पर विचार करना होगा। यह योजना सभी सांविधिक, पर्यावरणीय तथा अन्य आवश्यकताओं और राज्य सरकार / अन्य संस्थाओं से अनुमोदन के अनुपालन में तैयार करनी होगी। विकास आयुक्त, कोचीन एसईजेड सहित क्षेत्राधिकारीय मुख्य आयुक्त (सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क) को जांच के लिए योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अनुमोदन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में सन्निकटता स्थापित करने के लिए संभावित रूप से होने वाले व्यय का अनुमान शामिल करना होगा। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि सन्निकटता स्थापित करने के लिए किए गए व्यय के लिए कोई ड्यूटी लाभ अनुमत नहीं होगा। अनुमोदन बोर्ड ने अगली बैठक के लिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा आवेदक को शीघ्रता से योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी ताकि मामले पर विचार किया जा सके।

(iii) ग्राम अदिबाटला, इब्राहिमपटनम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एयरोस्पेस तथा प्रिसीजन इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में 35.59 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 136.76 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है।

(iv) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल घटाने के लिए मैसर्स विकास टेलीकॉम लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड से 7.63 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स विकास टेलीकॉम लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 24.54 हेक्टेयर रह जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

मद संख्या 47.5 : सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) आगरा, उत्तर प्रदेश में चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 दिसंबर, 2008 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आगरा, उत्तर प्रदेश में चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) जयपुर-अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 फरवरी, 2009 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 45.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जयपुर-अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) कुंडली गांव, सोनीपत, हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 दिसंबर, 2008 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कुंडली गांव, सोनीपत, हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) मुरादाबाद-रामपुर एनएच 24, ग्राम चमरुआ, मौजा दलपतपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 28 दिसंबर, 2008 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुरादाबाद-रामपुर एनएच 24, ग्राम चमरुआ, मौजा दलपतपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) मौजा ताजेय, तालुक भावेल, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 दिसंबर, 2008 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मौजा ताजेय, तालुक भावेल, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट के लिए विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vi) चेंगुलपट गांव, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2009 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चेंगुलपट गांव, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 47.6 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम सवरोली और धामनी, तालुक खालापुर, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जुवेंटस बिल्डर्स एंड डवलपर्स लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम सवरोली और धामनी, तालुक खालापुर, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स जुवेंटस बिल्डर्स एंड डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया है।

(ii) ग्राम कोलतुर, समीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सुंदरी थीम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने 40.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कोलतुर, समीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स सुंदरी थीम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया है।

(iii) ग्राम सुरंगी, सिलवासा के पास, दादरा एवं नगर हवेली में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स आलोक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 73.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम सुरंगी, सिलवासा के पास, दादरा एवं नगर हवेली में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स आलोक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया है।

मद संख्या 47.7 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 11.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मौजा बनग्राम और सरमास्टर चौक, जिला 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओवल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 11.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मौजा बनग्राम और सरमास्टर चौक, जिला 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओवल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(ii) सेक्टर 106, ग्राम पावला खुसरूपुर, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एयरमिड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर 106, ग्राम पावला खुसरूपुर, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एयरमिड डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी

प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(iii) ग्राम पोथंडी, तालुक चिपलून, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र में 10.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स यशप्रभा एंटरप्राइजेज का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम पोथंडी, तालुक चिपलून, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र में 10.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स यशप्रभा एंटरप्राइजेज के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(iv) 37.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक सिटी चरण 3, बंगलौर, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए कर्नाटक जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा (केबीआईटीएस) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने **37.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक सिटी चरण 3, बंगलौर, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी** के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए कर्नाटक जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा (केबीआईटीएस) के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(v) ग्राम रजोदा, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 217.14.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एनजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम रजोदा, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 217.14.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एनजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 47.8 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) हासन जिला, कर्नाटक में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर "आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर" से बदलकर "चिकित्सा तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपभोज्य वस्तुओं सहित उपकरणों, डिवाइसों, असेसरीज का विनिर्माण" करने के लिए मैसर्स ऑप्टो इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड से प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(ii) ग्राम भोंडसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर 'रत्न एवं आभूषण' से बदलकर 'आईटी / आईटीईएस करने के लिए मैसर्स गोल्डसॉक इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वैलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड का सेक्टर 'आईटी / आईटीईएस' से बदलकर 'रत्न एवं आभूषण' करने के लिए मैसर्स गोल्डसॉक इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वैलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) मामिडीपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में अधिसूचित एसईजेड का सेक्टर 'एविएशन' से बदलकर 'मौजूदा एयरपोर्ट में एसईजेड' करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि एसईजेड आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एयरपोर्ट के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह कि उक्त मामले में एसईजेड नियमावली के नियम 2 (जेड) (सी) के अंतर्गत यथापरिभाषित 'एयरपोर्ट में एसईजेड' के लिए अनुमोदन प्रदान करने की सभी आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं। इसलिए, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड का सेक्टर 'एविएशन' से बदलकर 'मौजूदा एयरपोर्ट में एसईजेड' करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 47.9 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 20 विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) ग्राम मौजे पूनावाले, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 नवंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बेंचमार्क रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) साहूपुरी, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में एफटीडब्ल्यूलेड सहित बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स हरि फर्टीलाइजर्स लिमिटेड का अनुरोध

(iii) जीआईडीसी, पनोली औद्यागिक संपदा, पनोली, गुजरात में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जेबी एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(iv) ग्राम कक्कानाड, तालुक कानायन्नूर, जिला एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अप्रैल, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) ग्राम हामीपुर, खेटावास, सैदपुर एवं वजीरपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में अभियांत्रिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 09 अगस्त, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रहेजा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(vi) गंभीरम गांव, आनंदपुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

(vii) राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 2,जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आकृति इंफो पार्क्स (पुण) लिमिटेड का अनुरोध

(viii) गंजीमट्ट, ईपीआईपी औद्योगिक क्षेत्र, मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 04 सितंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) ग्राम चोक्कनहल्ली, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) ग्राम कुकटपल्ली, बालानगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xi) ग्राम मुधवीन, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xii) ग्राम खोडिया, हयात नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) ग्राम मामिडीपल्ली, सरुर नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xiv) ग्राम अकुटोटापल्ली, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में टेक्सटाइल एवं अपैरल गारमेंट तथा फैशन एसेसरीज के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xv) ग्राम अमंगल, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xvi) ग्राम अमंगल, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xvii) ग्राम कोतवालगुडा, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xviii) ग्राम बचुपल्ली, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

(xix) ग्राम उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xx) ग्राम उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 47.10 : औपचारिक अनुमोदन की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध

(i) ग्राम महेश्वरम, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20

अगस्त, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 20 अगस्त, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 जून, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एमपीएकेवीएन इंदौर लिमिटेड का अनुरोध (यह अनुरोध मूल एजेंडा में नहीं था परंतु विकास आयुक्त, एनएसईजेड के अनुरोध पर बैठक के दौरान अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस पर विचार किया गया)

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 21 जून, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 47.11 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 14 विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) ग्राम घाटा और बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) ग्राम चिंतावरम, चिल्लाकुरु मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद अर्थात 25 जुलाई, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एमएएस फेब्रिक पार्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) ग्राम जामिन पल्लावरम, चिंगलीपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद अर्थात 24 जून, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) महादेवपुरा और कग्गाडासपुरा, केआर पुरम, ह्वाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2011 के बाद अर्थात 02 जुलाई, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) टाडा मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में चमड़ा एवं चर्म उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के

बाद अर्थात 29 जुलाई, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स भारतीय इंटरनेशनल एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(vi) ग्राम शिजरा किलाबंदी, तहसील बादशाहपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद अर्थात 25 जुलाई, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स मोहन इनवेस्टमेंट्स एंड प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) अनंतसागर गांव, हासनपार्ती मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद अर्थात 29 जुलाई, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स वीआर एंटरप्राइजेज का अनुरोध

(viii) नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद अर्थात 29 जुलाई, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स नया रायपुर विकास प्राधिकरण का अनुरोध

(ix) श्रीपेंरम्बदूर, तमिलनाडु में आईटी / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद अर्थात 25 जुलाई, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स फाक्सकॉन इंडिया डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) गंगैकोंडन, तिरुनवेली, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद अर्थात 25 जुलाई, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

(xi) नवलपट्टू गांव, त्रिचिरापल्ली तालुक, त्रिचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद अर्थात 25 जुलाई, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

(xii) ग्राम जागीर अम्मापालायम, सलेम तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद अर्थात 25 जुलाई, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

(xiii) इलांदैकुलम गांव, मदुरै I, मदुरै उत्तर तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता

अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद अर्थात 25 जुलाई, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

(xiv) वडापालनजी गांव, मदुरै दक्षिण तालुक और किन्नीमंगलम गांव, तिरुमंगलम तालुक, मदुरै ।।, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद अर्थात 25 जुलाई, 2012 तक दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि भविष्य में वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए ऐसे प्रत्येक मामले अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

मद संख्या 47.12 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 02 विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) 15/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2011 के बाद अर्थात 15 जून, 2012 तक तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) टाडिपुडी गांव, कोव्वूर के पास, टल्लापुडी मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में लेखन एवं मुद्रण पेपर मिल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2011 के बाद अर्थात 20 अगस्त, 2012 तक तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ह्वाइटफील्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 47.13 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने भंधाई, मेघापार कुंजीसर, तालुक भचाऊ, जिला कच्छ, गुजरात में प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 31 अक्टूबर 2011 तक बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लास्टीन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

अनुमोदन बोर्ड ने वाणिज्य विभाग को प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के लिए नीति को जल्दी से अंतिम रूप देने तथा पहले 15 जुलाई 2011 तक सभी प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के एलओए की बढ़ाई गई अवधि को 31 अक्टूबर 2011 तक बढ़ाने का भी निदेश दिया।

मद संख्या 47.14 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 20 जून 2012 तक वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 47.15 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड एसईजेड के लिए भूमि के अधिग्रहण में विकासक द्वारा की गई प्रगति से संतुष्ट नहीं था। इसलिए, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 118 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्रकाशन और निल्लौर जिलों के बीच एनएच-5, आंध्र प्रदेश में भवन सामग्री के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स साउथ कोस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (स्किडकैप) के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि विकासक निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद नया आवेदन कर सकता है।

मद संख्या 47.16 : तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 9 मई 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केवल एक्सपोर्ट्स जो केएएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 9 मई, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 21 जनवरी 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विगोर लैबोरेटरीज जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा विकास आयुक्त, आईएसईजेड को प्रचालन शुरू करने के लिए यूनिट द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा प्रदान करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। रिपोर्ट में यूनिट द्वारा प्राप्त किए गए विनियामक अनुमोदनों, यूनिट द्वारा निर्यात के लिए चिह्नित देशों तथा निर्यात आर्डर के स्टेटस तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए लक्षित तिथि का स्पष्ट रूप से ब्यौरा प्रदान किया जाना चाहिए।

(iii) 23 अप्रैल 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 23 अप्रैल, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) 25 मई 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स राजतरु इनफोटेक एंटरटेनमेंट लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 25 मई, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 47.17 : प्रतिबंधित / निषिद्ध मदों के निर्यात के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध

(i) विधिक स्रोतों से खरीदे गए / आवंटित किए गए रेड सैंडल वुड से मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण एवं निर्यात के लिए मैसर्स रॉकी रेड सैंडल वुड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट, हैदराबाद का अनुरोध

(ii) विधिक स्रोतों से खरीदे गए / आवंटित किए गए रेड सैंडल वुड से मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण एवं निर्यात के लिए मैसर्स जीतन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हैदराबाद का अनुरोध

प्रस्ताव इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि यूनिट द्वारा किन विशिष्ट उत्पादों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। सैंडल वुड का निर्यात एफटीपी के अनुसार अनुमत नहीं है। अनुमोदन बोर्ड को ऐसी मदों के निर्यात के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बारे में भी सूचना प्रदान की गई। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया।

(iii) मैसर्स स्टर्लिंग एसईजेड एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा जंबूसर, भड़ूच, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में दालों के प्रसंस्करण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स पुनीत एग्रो इंडस्ट्रीज का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड को निदेश दिया कि वे संभावित यूनिट के प्रमोटर्स को स्पष्ट करें कि यूनिट को कोई डीटीए लेनदेन करने की अनुमति नहीं होगी तथा उनको इस आशय का वचन पत्र प्राप्त करने का भी निदेश दिया गया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 47.18 : वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में विद्युत के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वार के लिए मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अतिरिक्त फाटक लगाने के लिए विकासक के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(क) फाटक का प्रयोग केवल कोयले के परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रकों के निकास के लिए किया जाना चाहिए।

(ख) फाटक मौजूदा फाटक के यथासंभव निकट स्थित होना चाहिए।

(ग) रेल रेक के माध्यम से एसईजेड यूनिटों के लिए कोयले का परिवहन शुरू हो जाने के बाद फाटक का प्रचालन बंद हो जाएगा।

मद संख्या 47.19 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स वर्चुअल एंप्लाई प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता के प्रतिनिधि को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया तथा विचार विमर्श के बाद अस्वीकृत आवेदन में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा बताए गए कारणों पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अपीलकर्ता के आवेदन पर पुनर्विचार के लिए वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास भेज दिया।

(ii) नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स सिटिक्सिस टेक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता के प्रतिनिधि को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया तथा विचार विमर्श के बाद अस्वीकृत आवेदन में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा बताए गए कारणों पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अपीलकर्ता के आवेदन पर पुनर्विचार के लिए वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास भेज दिया।

*****